यातायात पुलिस में बने महिला विंग 10 हजार पद करें सृजित: योगी

सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद विभागों को अहम निर्देश जारी

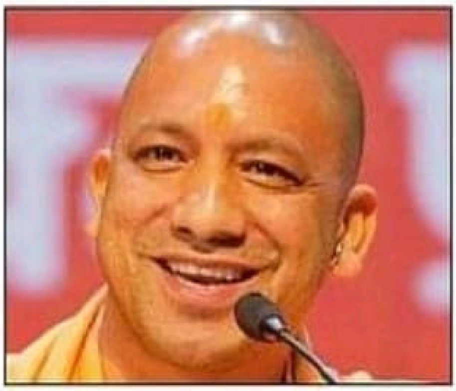

लखनऊ। यातायात पुलिस में महिलाओं की अलग विंग बनेगी। इसमें महिला निरीक्षक, उप निरीक्षक और सिपाही की अलग से तैनाती की जाएगी। इस संबंध में आदेश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात पुलिसकर्मियों की कमी को देखते हुए आरक्षी के 10 हजार अतिरिक्त पद सृजित करने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक से संबंधित दिशा-निर्देश विभागों को जारी कर दिए। इसमें बीते वर्ष प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या में इस बार 50 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जिलों मे रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने के ठोस उपाय भी बताए गए हैं।

खासकर परिवहन विभाग की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा गया है। सीएम ने वाहनों के चालान का शुल्क अवश्य जमा कराने की प्रक्रिया तैयार करने और नियमों का उल्लंघन करने पर चार चरण में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत लाइसेंस का निलंबन, निरस्तीकरण, बीमा राशि में वृद्धि और पंजीकरण रद करने की कार्रवाई हो सकती है।

उन्होंने आगामी 5 से 10 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाने और उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की हिदायत दी। सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज सबसे पहले गृह विभाग को उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। ब्यूरो